भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं०- 124B/2017-18

तारकनाथ महतो **बनाम** लक्ष्मी महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
10.11.2017		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 797 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 124B / 2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता तारकनाथ महतो, पिता–स्व० माधव महतो, ग्राम–हाथीटांड, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने गृह मरम्मति एवं कृषि हेतु क्रेता लक्ष्मी महतो, पति–राय कमल महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया जिला–सरायकेला–खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
हाथीटांड	186	51	756	0.52 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता माधव महतो एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। आवेदक के हिस्से में 3.69 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.52 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.17 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला, जाति 'कुर्मी', जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.52 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।